निकायों पर नियंत्रण के लिए निदेशालय ।

जागरण ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार ने नगर निकायों पर नियंत्रण के लिए नया तंत्र विकसित किया है। यह है-नगरपालिका प्रशासन निदेशालय। इसे नीतिगत मसलों को छोड़ लगभग हर मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर सचिव स्तर के अधिकारी इसके निदेशक होंगे। कुल 46 पद सृजित किए गए हैं। दरअसल, प्रभावी नियंत्रण के अभाव में नगर निकायों का कामकाज ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा शासन की समझ है। सौंपे गए काम की स्थिति तो ठीक नहीं ही है, ये संस्थान राज्य सरकार और वित्त आयोग द्वारा दी जाने वाली राशि और उससे संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी बार-बार स्मार के बावजूद नहीं दे पाते। नतीजतन खुद उन्हें अनुदान राशि से वंचित होना पड़ता है। काम के बुरे परफार्मेस से बदनामी सरकार की होती है। शहरों में नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन, जल निकासी, होल्डिंग टैक्स की वसूली, पार्को आदि के रखरखाव से जुड़े काम के लिए भी सरकार को पहल करनी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं के निपटारे तथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सरकार ने नगरपालिका प्रशासन निदेशालय का गठन किया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। दो दशक पूर्व भी स्थानीय निकायों के लिए निदेशालय का गठन किया गया था मगर न अपेक्षित पद मिले न ही यह कभी सक्रिय हो सका।